न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 277/2018

-:: वादी ::-	बनाम	-:: प्रतिवादीगण ::-
1. प्रकाशचन्द पुत्र रावतराम जी जातिं- माली निवासी- चावण्डिया कलां तहसील- जैतारण जिला- पाली राज0।		1. भंवरलाल पुत्र गोमा 2. पुखराज पुत्र रावतराम 3. मदनलाल पुत्र रावतराम 4. रामेश्वरलाल पुत्र रावतराम 5. सुगनचन्द पुत्र रावतराम 6. सत्यनारायण पुत्र रावतराम जातियान- माली निवासीगण- चावण्डियां कलां तहसील- जैतारण 7. तहसीलदार, जैतारण

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.06/11/2018

उपस्थितः-

1. श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री राकेश वैष्वण, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 19/12/2018

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-चावण्डिया कलां तहसील- जैतारण में वादी की व सह खातेदारान की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर- 489 रकबा 34 बीघा 01 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर- 490 रकबा 10 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 491 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 499 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 500 रकबा 68-09 बीघा चाही दोयम, खसरा नंबर 541 रकबा 31 बीघा 01 बिस्वा किस्म चाही दोयम की आई हुई है। जिसकी जमाबन्दी की नकल दावा के साथ पेश है। उक्त भूमि में वादी का नाम नेनाराम की पुत्र रावतराम दर्ज है अज्ञानतावश दस्तावेजात में नेमाराम पुत्र रावतराम दर्ज करवा दिया था। जो वादी को बोलता नाम था एवं नेनाराम व प्रकाशचन्द एक ही व्यक्ति है जबकि वादी का वास्तविक नाम प्रकाशचन्द पुत्र रावतराम सही है। वादपत्र के ताईद में दस्तावेजात प्रकाशचन्द पुत्र रावतराम का आधार कार्ड व ड्राईविंग लाईसेन्स, डी/एल एवं राशनकार्ड व वादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत दावा का निर्णय दिनांक 09-07-2015 की प्रति दावा के साथ पेश है जिसे दावा का एक आवश्यक भाग माना जावे। उक्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का सही नाम दर्ज करने बाबत् प्रतिवादी संख्या 07 व पटवारी हल्का चावण्डिया को काफी बार निवेदन किया लेकिन आज दिन तक सही नाम प्रकाशचन्द दर्ज नहीं किया गया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद संख्या 339ए/2015 निर्णय दिनांक 9-7-2015 की पालना नहीं होने से श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व बाद में पटवारी के पास गया तब वादी को ज्ञात हुआ कि उक्त वाद में वर्णित खसरा नंबर की भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम नेनाराम दर्ज है तब प्रतिवादीगण को वादी का नाम प्रकाशचन्द दर्ज करने का निवेदन किया तब प्रतिवादी संख्या 07 व पटवारी हल्का चावण्डिया ने कहा कि आप तो बाकी जमीन में आपका नाम सही करने का नया दावा पेश करो इसलिए उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी का बिनाय दावा दिनांक 23-10-2018 को प्रतिवादीगण व पटवारी हल्का चावण्डिया द्वारा वादी का नाम प्रकाशचन्द दर्ज करने से मना करने पर बमुकाम चावण्डिया व जैतारण में उत्पन्न हुआ। जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। व वाद अन्दर म्याद प्रस्तुत है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समनस् तलब किये गये। प्रतिवादीगण 01 व 02 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 04 से 06 बावजुद सम्मन सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील मय वादी एवं वकील मय प्रतिवादी संख्या 01

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

व 03 ने एक तहरीरी राजीनामा पेश किया। राजीनामा में व्यक्त किया कि वाद में वर्णित खसरा नम्बर में वादी प्रकाशचन्द का नाम नेनाराम के सथान पर वादी का सही व वास्तविक नाम प्रकाशचन्द पुत्र रावतराम दुरूस्त किया जाता हैं तो हम प्रतिवादी को कोई आपति नही हैं। बाद राजीनामा पृथक से तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। बहस वकुलाय सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात एवं राजीनामा का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। साक्ष्य के रूप में वादी ने आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं चुनाव आयोग का जारी पहचान पत्र पेश किया। जिसमें वादी का नाम प्रकाशचन्द हैं। वादी का सही नाम प्रकाशचन्द होना बखूबी साबित हैं। लिहाजा माफिक राजीनामा वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझतें हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक राजीनामा डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि वादी की व सह खातेदारान की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर– 489 रकबा 34 बीघा 01 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर– 490 रकबा 10 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 491 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 499 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 500 रकबा 68–09 बीघा चाही दोयम, खसरा नंबर 541 रकबा 31 बीघा 01 बिस्वा किस्म चाही दोयम में वादी का अर्ज गलत नाम नेनाराम के स्थान पर सही व वास्तविक नाम प्रकाशचन्द पुत्र रावतराम दुरूस्त किये जाने की घोषण की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा.मि. किया गया। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 19/12/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner